

छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग,  
मंत्रालय, महानदी भवन,  
केपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर  
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक : 01/04/2015

क्रमांक एफ 10-10/2015/वा.कर(आब.)/पांच (38) - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क. 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (1) सहपठित उप-धारा (2) के खण्ड (ड.), (च) एवं (छ) तथा उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, समसंख्यक अधिसूचना क. 14-पांच-एस.आर. दिनांक 7-1-1960 द्वारा प्रकाशित सामान्य प्रयोग के नियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

- (1) नियम 1 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) में, शब्द "किसी राष्ट्रीय राजमार्ग, किसी राज्य राजमार्ग" के स्थान पर, शब्द "पेट्रोल पंप" प्रतिस्थापित किया जाये।
- (2) नियम 1 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ें जाये, अर्थात् :-

- “(ग) किसी राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग के मध्य बिन्दु से 100 मीटर या उससे कम दूरी पर कोई फुटकर मदिरा दुकान स्थापित/अवस्थित नहीं होगी ।
- (घ) किसी राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से दृश्यमान किसी भी मदिरा दुकान का प्रवेश द्वार, किसी राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग की ओर नहीं होगा, किन्तु मदिरा दुकान इस प्रकार स्थापित/अवस्थित होगी कि उसका पिछला भाग, किसी राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग की ओर हो।

(ड.) किसी भी मदिरा दुकान पर लगा हुआ साईन बोर्ड, किसी राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग से दृश्यमान नहीं होगा।

(च) किसी भी मदिरा दुकान को इंगित/सूचित किये जाने वाला कोई भी साईन बोर्ड, किसी राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग से दृश्यमान नहीं होगा:

परन्तु खण्ड (ग) के उपबंध, किसी नगरीय निकाय (नगर निगम, नगरपालिका तथा नगर पंचायत) की परिसीमा के भीतर स्थित किसी राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग के खण्ड/भाग में स्थापित/अवस्थित मदिरा दुकान पर लागू नहीं होंगे।”


(3) नियम 1 के उप-नियम (3) के परन्तुक को विलोपित किया जाये।

उक्त अधिसूचना दिनांक 01.04.2015 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,




(ए. पी. त्रिपाठी)  
विशेष सचिव

  
रायपुर, दिनांक : 01/04/2015

क्रमांक एफ 10-10/2015/वा.कर(आब.)/पांच (38) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-10/2015/वा.कर(आब.)/पांच (38) दिनांक 01/04/2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(ए. पी. त्रिपाठी)  
विशेष सचिव

  
01/04

**Government of Chhattisgarh  
Commercial Tax (Excise) Department  
Mantralaya  
Mahanadi Bhawan, NayaRaipur**

**NOTIFICATION**

Raipur, Dated : 01/04/2015

No. F 10-10/2015/CT(Ex.)/V ( 36 ) - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (e), (f) and (h) of sub-section (2) and proviso to sub section (3) of Section 62 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Rules of General Application published vide Notification No.14-V-SR, dated 7-1-1960, namely:-

**AMENDMENT**

In the said rules,-

- (1) In clause (b) of sub-rule (1) of rule 1, for the words and symbol "national highway, a State highway", the words "petrol pump" shall be substituted.
- (2) After clause (b) of sub-rule (1) of rule 1, the following shall be added, namely:-
  - "(c) Any retail liquor shop shall not be situated/located at a distance of 100 metres or less from the centre of any National or State highway.
  - (d) Entrance of any liquor shop visible from any National or State highway shall not face the any National or State highway, but the liquor shop shall be so situated/located



with its back side towards any National or State highway.


- (e) Signboard on any liquor shop shall not be visible from any National or any State highway.
- (f) Also any signboard indicating to or informing about liquor shop shall not be visible from any National or State highway:

Provided that the provisions of clause (c) shall not be applicable to a liquor shop situated/located in section/part of any National or State highway situated within the limits of any Urban body (Municipal Corporation, Municipality and Nagar Panchayat)."

- (3) Proviso to sub-rule (3) of rule 1 shall stand omitted.

This notification shall come into force from 01.04.2015.

**By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh,**



**(A.P. Tripathi)**

**Special Secretary**

  
01/04